केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर के आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX
एन-5, टाउन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद-431003
N-5, TOWN CENTRE, CIDCO, AURANGABAD-431003
वेबसाईट/WEBSITE : http://www.centralexciseaurangabad.gov.in
ई-मेल/E-mail : cexauran@excise.nic.in
फोन/Phone : +91-240-2484975 फैक्स/Fax : +91-240-2483303/2476627

सेवोत्तम/SEVOTTAM
आई.एस.-15700 प्रमाणित
IS-15700 CERTIFIED

जनसूचना सं. 01/2016
औरंगाबाद, दि. 9 फरवरी, 2016

विषय : रिफण्ड/रिबेट के ई-भुगतान को लागू करने से सम्बन्धित सामान्य दिशा-निर्देश।

आपका ध्यान केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2016 को फा.सं.201/05/2014/सी.एक्स. के अधीन जारी परिपत्र सं. 1013/1/2016-सी.एक्स.(प्रति संलग्न) की ओर दिलाया जाता हैं, जो व्यवसाय कार्य एवं रिफण्ड/रिबेट के ई-भुगतान के पूरे कार्य को सरल बनाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक जानकारी एवं कारवाई के सम्बन्ध में हैं।

सभी व्यापार संगठन तथा चैम्बर्स आफ कॉमर्स के सदस्यों से अनुरोध किया जाता हैं कि वे इस जनसूचना का उनके सदस्यों के बीच प्रचार करें।

ह./-09.02.2016
(सी. एल. महर)
आयुक्त

फा.सं. वी.जी.एन(30)24/टी.सी./2010
औरंगाबाद, 9 फरवरी, 2016
प्रति प्रेषित:
1. मुख्य आयुक्त, के.उ. एवं सी.शु., नागपुर जोन, नागपुर ।
2. सहायक आयुक्त, आयुक्तालय के सभी मंडल तथा आई.सी.डी. ।
3. व्यापार की कार्यालयीन डाक-सूची के अनुसार सभी अधिकारियों को ।
4. आयुक्तालय के सभी अनुभाग प्रभारी (मुख्यालय) ।
5. नोटिस बोर्ड ।

परिपत्र सं. **1013/1/2016-CX**

फा.सं. 201/05/2014-सीएक्स-6

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी, 2016

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सभी)

प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर (सभी)

प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त, सेवा कर (सभी)

प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (सभी)

प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) (सभी)

विषय : रिफण्ड/छूट के ई-भुगतान को लागू करने से संबंधित सामान्य दिशा-निर्देश

महोदया/महोदय,

आपका ध्यान रिफण्ड/छूट के भुगतान करने में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया पर दिलाया जाता है। इस समय अधिकतर क्षेत्रीय कार्यालय रिफण्ड/छूट का भुगतान करने के लिए चेक को व्यक्ति के माध्यम से देते/ भिजवाते हैं। रिफण्ड/छूट के दावे को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति मिल जाने पर चेक को जारी किया जाता है और इसको या तो पंजीकृत डाक से भेजा जाता है या किसी प्राधिकृत व्यक्तियों को सौंपा जाता है। इस वर्तमान प्रक्रिया में कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है तथा दावा करने वाले व्यक्ति को अपना आदमी भेजना पड़ता है तथा रिफण्ड के भुगतान में भी विलम्ब होता है।

2. रिफण्ड/छूट के दावे को स्वीकृति मिल जाने के पश्चात पैसे को लाभान्भोगी के बैंक खाते में शीघ्रतापूर्वक जमा कराने और ऐसा करके इस पूरे कार्य को सरल बनाने के लिए रिफण्ड/छूट के ई-भुगतान से संबंधित निम्नलिखित प्रक्रिया को एतदद्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है जिसका कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा क्रियान्वयन किया जाना है:

I. प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से ई-भुगतान

क) रिफण्ड/छूट वापसी के इलेक्ट्रानिक भुगतान की इस व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से रिफण्ड/छूट की राशि का भुगतान आरटीजीएस/ एनईएफटी की सुविधा के माध्यम से करेंगे।

ख) चूंकि क्षेत्रीय कार्यालय अपने निकट के भारतीय स्टेट बैंक की शाखा, जिसमें कि सरकारी कार्य ज्यादा होता है, में चालू खाता रख रहे हैं। अत: ई-भुगतान की प्रक्रिया इन शाखाओं के माध्यम से पूरी की जा सकती है। यदि कोई कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक से भिन्न किसी बैंक में अपना सरकारी खाता रख रहे हैं तो इन शाखाओं के माध्यम से भी ई-भुगतान किया जा सकता है। ई-भुगतान के लिए एक से अधिक बैंकों के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

ग) संबंधित आयुक्त, अधिकार क्षेत्र के भीतर प्राधिकृत बैंक से सहमति प्राप्त करने के पश्चात आरटीजीएस/ एनईएफटी सुविधा के माध्यम से निर्धारतियों को रिफण्ड/छूट के भुगतान का प्रावधान करने के लिए, केवल ऐसे प्राधिकृत बैंकों से रिफण्ड/छूट का ई-भुगतान किए जाने के क्रम में अपने अधिकार क्षेत्र में रिफण्ड मंजूर करने वाले प्राधिकरणों को प्राधिकृत करेंगे।

घ) बैंक, आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से रिफण्ड का प्रेषण करने के लिए दावा शुल्क वसूल सकते हैं और दावाकर्ता को कुल धनराशि प्राप्त होगी इसका आकलन और निर्धारण, दावाकर्ता के लेखे में भुगतान करने के लिए योजना शुरू करने के समय प्राधिकृत बैंक के परामर्श से किया जाएगा।

II. ई-भुगतान की प्रक्रिया

(क) पहली बार रिफण्ड दायर करने/ छूट का दावा करते समय इस सुविधा का विकल्प देने वाले दावाकर्ता एकबारगी प्राधिकारिता दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे जो कि निर्धारित प्रपत्र (**अनुबंध-क के रूप में संलग्न**) में लाभग्राही बैंक द्वारा यथावत प्रमाणित होगा। इसकी एक प्रति विभाग द्वारा रखी जाएगी और एक प्रति बैंक को भिजवाई जाएगी जिसके साथ आवेदक का पहला रिफण्ड मंजूरी आदेश भी होगा।

(ख) रिफण्ड मंजूरकर्ता प्राधिकरण प्राधिकृत बैंक को आवधिक अंतराल पर निम्नलिखित दस्तावेज भिजवाएगा :

i. मंजूरी आदेश का एक हस्ताक्षरित विवरण (**अनुबंध-ख के रूप में संलग्न नमूना प्रपत्र की प्रति**) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लाभग्राहियों और मंजूरी की गई धनराशि का ब्यौरा होगा।

ii. समेकित रिफण्ड/ छूट की धनराशि के संबंध में उपर्युक्त किए गए उल्लेख के अनुसार बैंक के पक्ष में एक चेक।

iii. ई-मेल के माध्यम से बैंक को उपर्युक्त विवरण की एक साफ्ट कॉपी

(ग) रिफण्ड मंजूर करने वाला प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि मंजूर किए गए आदेशों का कम से कम एक हस्ताक्षरित विवरण और निर्धारित प्रपत्र (**अनुबंध-ख**) में

समेकित रिफण्ड/छूट की धनराशि का एक चेक, उस माह विशेष में प्राधिकृत बैंक को भिजवा दिया जाता है। उक्त विवरण में बैंक को विवरणी भिजवाए जाने की तारीख तक सभी रिफण्ड/ छूट आदेशों का ब्यौरा होगा।

घ) रिफण्ड मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित विवरण और समेकित रिफण्ड धनराशि के चेक के प्राप्त होने पर बैंक, आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू एनईएफटी/आरटीजीएस प्रभारों की कटौती करने के पश्चात एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से दावकर्ताओं के संबंधित खातों में रिफण्ड की धनराशि को क्रेडिट करेगा। आयुक्तों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि मंजूर की गई धनराशि के वितरण में कोई विलम्ब नहीं हो।

III. सामन्जस्य की प्रक्रिया

क) बैंक द्वारा लाभग्राही के खाते में प्रत्येक बार धनराशि के अंतरण के लिए एक यूटीआर (यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंश) जनरेट किया जाता है यह यूटीआर बैंक की पावती है जो कि दावाकर्ता के बैंक खातें में धनराशि के अंतरण का साक्ष्य है तथा इसे आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवधिक रिपोर्ट के साथ-साथ आवधिक अंतराल पर बैंक से ले लिया जाना चाहिए।

ख) लाभग्राही के खाते में मंजूरीकृत छूट की धनराशि की अंतरण के पश्चात बैंक से प्राप्त यूटीआर रिपोर्ट को, प्रत्येक माह के अंत में रिफंड की मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा संबंधित पीएओ को भिजवाया जाना चाहिए तथा इसके साथ जारी किए गए चेक की तारीख और धनराशि का ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए। पीएओ को भिजवाए जाने वाले पत्र के संलग्नक की नमूना प्रति अनुबंध-ग के रूप में संलग्न है। अनुबंध-ग का प्रपत्र, यदि आवश्यक हो, को स्थानीय तौर पर संशोधित किया जा सकता है।

ग) दावाकर्ताओं को धनराशि के अंतरण के पश्चात बैंक आवधिक स्क्रोल जेनरेट करेगा जिसमें विभिन्न दावाकर्ताओं को मंजूर की गई रिफण्ड धनराशि का ब्यौरा होगा तथा इसके साथ आवश्यक ब्यौरे भी होंगे तथा यह उसे संबंधित पीएओ को भिजवाएगा जिसमें बैंक द्वारा दिए गए समेकित चेकों और भुगतानों की प्राप्ति का ब्यौरा होगा।

घ) पीएओ को यह अनुरोध किया जा सकता है कि वह बैंक द्वारा उन्हें आवधिक रूप से भिजवाए गए स्क्रॉल के साथ, छूट/ रिफण्ड के संबंध में फील्ड कार्यालयों द्वारा जारी चेकों का सामंजस्य स्थापित करें और संबंधित फील्ड कार्यालयों को विसंगति, यदि

कोई हो, के बारे में सूचित करे। जोकि इसका सत्यापन करेगा तथा पीएओ को अनुपालना रिपोर्ट भिजवाएगा।

3. उपर्युक्त अनुदेश फील्ड कार्यालयों द्वारा 10.02.2016 तक लागू कर दिए जाएंगे। रिफण्ड/छूट के ई-भुगतान की सुविधा मुम्बई-II, हैदराबाद, चण्डीगढ़ और चेन्नई जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कतिपय जोनों में पहले से ही लागू है। फील्ड कार्यालय, उपर्युक्त अनुदेशों की अनपालना करते समय, सहयोग की यदि आवश्यकता हो तो वे उन कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं जिन्होंने पहले ही ई-भुगतान सुविधा लागू कर दी है। बैंक द्वारा उपर्युक्त रिफण्ड/छूट प्रणाली के सेटल कर दिए जाने के पश्चात संबंधित फील्ड कार्यालय व्यापार जगत के सदस्यों की जानकारी के लिए आवश्यक व्यापार नोटिस जारी करेंगे।

4. उपर्युक्त प्रक्रिया के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई आए जो इसे बोर्ड की जानकारी में लाया जाए।

(रोहन)
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक : अनुबंध-क (1 पृष्ठ)
अनुबंध-ख (1 पृष्ठ)
अनुबंध-ग (2 पृष्ठ)

अनुबंध क

प्राधिकारिता

सेवा में,
उप/सहायक आयुक्त,

महोदया/महोदय,

विषय : रिफण्ड/ छूट के लिए प्राधिकारिता-

मैं/हम आपके कार्यालय में दायर मेरे सभी छूट/रिफण्ड के दावों के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवा कर के मंजूरीकृत छूट/रिफण्ड धनराशि के, आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू आरटीजीएस/एनईएफटी प्रभारों की कटौती के पश्चात आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सीधे मेरे बैंक खाते में भुगतान/ क्रेडिट के लिए, किए जाने के लिए प्राधिकृत करता हूं। यदि कोई प्रेषण चूकवश अथवा डुप्लीकेट रूप में होता है तो मैं/हम इसे विभाग को रिक्रेडिट करने का वचन देता हूं। मैं इस आशय से एतदद्वारा निम्नलिखित ब्यौरे की घोषणा करता हूं।

1.	नाम और पता	
2.	15 अंक वाली सीईएक्स/एसटी पंजीकरण संख्या /आईईसी	
3.	कारोबार का गठन (स्वामित्व/साझेदारी/एलएलपी/ प्राइवेट लि./ पब्लिक लिमिटेड/ अन्य	
4.	आवेदक का ब्यौरा	
	पता	
	दूरभाष/ मोबाइल नं.	
	ई-मेल का पता	
5.	**उस पंजीकृत निर्धारती/ निर्यातक के बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें मंजूरीकृत रिफण्ड की राशि जमा की जानी है।**	
	बैंक का नाम	
	शाखा, बैंक खाता संख्या	
	आईएफएस कोड	
	बैंक लेखे का स्वरूप : बचत खाता/ चालू खाता	

मैं/हम अच्छी तरह समझते हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी यदि झूठी अथवा गलत पाई जाती है तो कानून अथवा अन्यथा निर्धारित किसी भी दण्ड अथवा कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम के लिए मैं/ हम जिम्मेवार होंगे।

हस्ताक्षर……….................

स्थान :

नाम ___________________

दिनांक :

पदनाम
(स्वामी/साझेदार/निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

संलग्नक : (1) रद्द किए गए बिना भरे गए चेक की फोटो कॉपी

बैंक सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त ब्यौरों का बैंक रिकॉर्ड से मिलान कर लिया गया है और इन्हें सही पाया गया है।

हस्ताक्षर.............................

नाम____________________

बैंक की मुहर

टिप्पणी

1. यदि प्राधिकारिता, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होती है तो बैंक प्रबंधक यह सत्यापन करेगा और इसकी पुष्टि करेगा कि उक्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता वास्तव में फर्म/ कम्पनी द्वारा बैंक से लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत है।

2. उपर्युक्त दी गई सारी सूचना अनिवार्य रूप से भरी जानी है/ उपलब्ध करवाई जानी है।

अनुबंध-ख

सहायक/ उप आयुक्त का कार्यालय

सी सं.______________________________ **दिनांक** ________

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,

----------------------- बैंक

महोदय,

विषय : रिफण्ड दावों की धनराशि का आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से निर्धारिती/ निर्यातक के बैंक खाते में सीधे भुगतान।

___________________________ धनराशि का दिनांक ---------------------------का चेक सं. ------------------------ --- और --------------------------------अवधि से ----------------------------------अवधि तक के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मंजूर रिफण्ड/ छूट दावों (दो प्रतियों में) की सूची उस लाभग्राही के पक्ष में भिजवाई जा रही है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	लाभग्राही का नाम	लाभग्राही के बैंक का नाम	लाभग्राही का बैंक खाता सं.	आईएफएससी कोड सं.	रिफण्ड की मंजूर की गई धनराशि	प्रेषक का लेखा सं.	मंजूरी आदेश की संदर्भ सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

2. कृपया हमारे उपर्युक्त लेखा संख्या में डेबिट करते हुए आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से तालिका के कॉलम सं. 6 में उल्लिखित धनराशि प्रेषित करें।

3. आप उक्त मंजूर की गई धनराशि पर प्रभार्य आरटीजीएस/एनईएफटी प्रभारों की आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार वसूली कर सकते हो और शेष धनराशि को लाभग्राही के बैंक खाते में प्रेषित कर सकते हैं।

4. लाभग्राही का आवश्यक ब्यौरा भी मेरे सरकारी ई-मेल अकाउंट अर्थात ------------------ के द्वारा आपके ई-मेल अकाउंट ------------------------- द्वारा भिजवा दिया गया है।

5. यह अनुरोध है कि आप बैंक द्वारा यथा प्रमाणित अनुबंध-ख की डुप्लीकेट प्रति हमें लौटा दें। प्रेषण नहीं किए जाने के मामले में इसके कारण बताएं और आगे कोई सलाह हो तो भी बताएं।

भवदीय,

अनुलग्नक : ------------रूपये के लिए चेक सं. --------- दिनांक ------

हस्ताक्षर और तारीख

नाम

पद नाम

कार्यालय की मुहर

दूरभाष सं.

अनुबंध-ग

प्रभाग, आयक्तालय				
2016 माह के संबंध में चेको का ब्यौरा				
क्र. सं.	चेक सं.	चेक की तारीख	धनराशि	टिप्पणी
		को समाप्त सप्ताह		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				आरटीजीएस/एनईएफटी ---------- बैक शाखा
2				तदैव
		कुल		
		को समाप्त सप्ताह		
3				आरटीजीएस/एनईएफटी ---------- बैक शाखा
4				तदैव
5				तदैव
6				तदैव
7				तदैव
		कुल		
		को समाप्त सप्ताह		
8				आरटीजीएस/एनईएफटी ---------- बैक शाखा
9				तदैव
		कुल		
		को समाप्त सप्ताह		
10				आरटीजीएस/एनईएफटी ---------- बैक शाखा
11				तदैव
12				तदैव
13				तदैव
		कुल		
	सकल	योग		

अनुबंध-ग

आईएफएससी कोड	लेनदेन की धनराशि	कमीशन की धनराशि	प्रेषक का खाता सं.	प्रेषक का नाम	प्रेषक का पता	लाभग्राही का खाता सं.	लाभग्राही का नाम	लाभग्राही का पता	भुगतान का ब्यौरा	भेजने वाले से प्राप्त करने वाले तक की जानकारी	ई-मेल पता	यूटीआर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)